झारखंड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक:– 12/12/23

संचिका संख्या–04/आ०–01–1035/2023 5237/

श्री अविक अम्बाला, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चतरा सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा के विरुद्ध उनके पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चतरा में प्रभारी कार्यपालक अभियंता के रुप में पदस्थापन काल के दौरान योजनाओं के निर्माण में अनियमितता बरते जाने एवं अन्य आरोपों से संबंधित परिवाद पत्र विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुआ। साथ ही प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा में पदस्थापन अवधि के दौरान माननीय विभागीय मंत्री के निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बिना किसी सूचना के अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहे। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चतरा से संबंधित मामलों की जाँच मुख्य अभियंता (मुख्यालय), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय जाँच दल से करायी गयी। साथ ही माननीय विभागीय मंत्री के क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में श्री अम्बाला के मुख्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में अधीक्षण अभियंता, पेजयल एवं स्वच्छता अंचल, चाईबासा द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया।

2– जाँच दल का जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (मुख्यालय), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची का पत्रांक–4912 दिनांक–02.11.2023 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत श्री अविक अम्बाला, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, चतरा से विभागीय पत्रांक–4940 दिनांक–06.11.2023 के द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा की गई। श्री अम्बाला से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा विभाग द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री अम्बाला के विरुद्ध उनके चतरा प्रमंडल पदस्थापन अवधि में ग्राम–आमडीहा अंतर्गत निर्मित्त जलमीनार का ध्वस्त होना एवं एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि के लगभग 8 माह पश्चात् बिना पेनाल्टी कटौती के C&P करते हुए संवेदक को लाभ पहूँचाने एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग करने, नलकूप मरम्मति कार्य में स्वीकृत दर के विपरित स्वयं दर अनुमोदित करने, SBM(G) अंतर्गत क्रियांवित कार्यो का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त रहने के बावजूद राशि के adjustment की कार्रवाई नहीं करने एवं माननीय विभागीय मंत्री के क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये।

3– उक्त वर्णित सम्पूर्ण मामले पर सम्यक् विचारोपरांत श्री अम्बाला के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु श्री अम्बाला को निलम्बित करते हुए आरोप–पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते है:–

(i) श्री अविक अम्बाला, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चतरा सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–09 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

(ii) निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका निर्धारित किया जाता है।

(iii) निलम्बन अवधि में श्री अम्बाला को सेवा संहिता के नियम–96 तथा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(iv) श्री अविक अम्बाला, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चतरा सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा के विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–17 के तहत आरोप–पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

(v) विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची प्रक्षेत्र, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(vi) जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माह पन्द्रह दिन) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(vii) आरोपित पदाधिकारी 15 दिनों में अपना लिखित बचाव बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

12/12/2023

(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—04/आ०—01—1035/2023 5238/ राँची, दिनांकः— 12/12/23

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/12/2023

(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—04/आ०—01—1035/2023 5238/ राँची, दिनांकः— 12/12/23

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, झारखंड/कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/2023

(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—04/आ०—01—1035/2023 5238/ राँची, दिनांकः— 12/12/23

प्रतिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/अवर सचिव (प्रशाखा—1 एवं 4) /सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/2023

(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—04/आ०—01—1035/2023 5238/ राँची, दिनांकः— 12/12/23

प्रतिलिपिः—श्री अरविन्द कुमार, भा०प्र०से०, (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा नियुक्त विभागीय जाँच पदाधिकारी—सह—संचालन पदाधिकारी/श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राँची प्रक्षेत्र, राँची—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः—यथोपरि।

12/12/2023

(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–04 / आ०–01–1035 / 2023.....5238/ रॉंची, दिनांकः– 12/12/23

प्रतिलिपिः–श्री अविक अम्बाला, तत्कालीन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चतरा सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि विभागीय जाँच पदाधिकारी के निर्देश पर सुनवाई के हर तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित करेंगे तथा जाँच कार्य में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

12/12/2023

(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–04 / आ०–01–1035 / 2023.....5238/ रॉंची, दिनांकः–12/12/23

प्रतिलिपिः–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वय (IT) पी०एम०यू०, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, रॉंची को वेबराईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

12/12/2023

(नवनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव